दिल्ली विकास प्राधिकरण

[वित्त तथा व्यय]

एफ एवं ई परिपत्र संख्या 15/ 2013

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी खाते में बुक किए गए हवाई टिकटों पर मैसर्स बाल्मेर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा एजेंसी के कमीशन आदि वसूलने के संबंध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 28.05.2013 के का.ज्ञा. संख्या 19024/1/2012-ई-IV डीडीए में भी उसी प्रकार लागू होंगें।

सभी डीडीओ को अनुदेश दिया जाए कि वे सरकारी खातों में हवाई टिकटों की बुकिंग करने के संबंध में दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करे।

इसे उपाध्यक्ष, डीडीए के अनुमोदन से जारी किया गया है।

संलग्नः- उपरोक्त अनुसार।

31.7.13

[डी.एस. नेगी]

लेखा अधिकारी [एफएंडई]

सं. एफई.98 (02)2008-09/एससीपीसी/डीडीए/ भाग/ 467 दिनांकः 1-8-13

प्रतिलिपिः-

1. पत्र की सूचना के लिए उपाध्यक्ष, डीडीए के विशेष कार्याधिकारी;
2. निजी सचिव, एफएम/ ईएम, डीडीए;
3. प्रमुख आयुक्त/ सीवीओ/ सीएलए/ सीएओ, डीडीए;
4. सभी आयुक्त/ आयुक्त-सह-सचिव, डीडीए;
5. सभी मुख्य आयुक्त/ मुख्य वास्तुकार, डीडीए;
6. एफ.ए. (एच)/ निदेशक (पी)-I तथा II/ निदेशक (सतर्कता);
7. उप मुख्य लेखा अधिकारी (मुख्यालय)-III/ सभी क्षेत्रीय उप सीएओ;
8. वरिष्ठ लेखा अधिकारी (बजट)/ एओ (प्रति.)- राजपत्र/ एनजी/ आवास;
9. नोटिस बोर्ड;
10. गार्ड फाइल/ ई.ओ. पुस्तक।

31.7.13

लेखा अधिकारी [एफ एंड ई]

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सं. 19024/1/2012-ई-IV
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांकः 28 मई, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- **मेसर्स बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा सरकारी खाते पर बुक की गई हवाई टिकटों पर अभिकरण कमीशन के प्रभार के संबंध में।**

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि इस विभाग को यह स्पष्टीकरण प्राप्त करने के संबंध में संदर्भ प्राप्त होते रहे हैं कि क्या अभिकरण कमीशन/ सेवा प्रभार/ प्रक्रिया शुल्क इत्यादि, जिसे बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड (बीएलसीएल) द्वारा सरकारी खाते पर बुक की गई हवाई टिकटों पर अप्रैल, 2013 से प्रभारित किया गया है, का भुगतान बीएलसीएल को किया जाना है अथवा नहीं। चूंकि मामला अभी भी विचाराधीन है, सभी मंत्रालयों/विभागों/सरकारी कार्यालय को एतद सुझाव दिया जाता है कि इस मामले पर अंतिम निर्णय लिए जाने तक, किसी भी प्रकार के कमीशन इत्यादि का भुगतान नहीं करें, जिसे बीएलसीएल द्वारा सरकारी खातों पर बुक की गई हवाई टिकटों के सापेक्ष उनके बिलों में प्रभारित किया जा रहा है।

2. प्रवासों/ स्थानांतरण/ एलटीसी इत्यादि हेतु हवाई यात्रा पर दिशानिर्देशों को व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए हैं। हाल ही में ऐसे अनुदेश इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 19024/1/2008-ई-IV दिनांक 16.09.2010 के माध्यम से जारी किए गए थे। इन दिशानिर्देशों में एक महत्वपूर्ण शर्त का उल्लेख किया गया है जो कि प्राधिकृत यात्रा अभिकरणों की सेवाएं लेने के संबंध में है। इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि सरकारी खातों से बुक की गई हवाई टिकटों को या तो सीधे एयर इंडिया/ एयरलाइन्स (बुकिंग काउंटर्स/ कार्यालयों/ वेबसाइट) से प्राप्त किया जाना चाहिए अथवा यदि किसी यात्रा अभिकरण की सेवाएं लेने की आवश्यकता हो तो केवल मेसर्स बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड (बीएलसीएल), मेसर्स अशोक ट्रैवल्स एंड टूर्स (एटीटी) तथा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कार्पोरेशन लिमिअेड (आईआरसीटीसी) {जहां तक कि आईआरसीटीसी डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन सं. 31011/ 6/ 2002-स्था.(ए) दिनांक

02.12.2009 के अनुसार प्राधिकृत है} से हवाई टिकटों को प्राप्त किया जाना चाहिए। तथापि, इस विभाग को टीए/ एलटीसी दावों के देयकों के निबटान के लिए इन दिशानिर्देशों में रियायत हेतु बार-बार संदर्भ प्राप्त होते रहे हैं, ज्यादातर इस आधार पर कि संबंधित अधिकारी को इन दिशानिर्देशों का संज्ञान नहीं था और इसलिए उन्होंने अनधिकृत यात्रा अभिकरणों से हवाई टिकटें प्राप्त कर लीं। सभी मंत्रालयों/ विभागों को एक बार पुनः सुझाव दिया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सर्व संबंधितों द्वारा सरकारी खातों से हवाई टिकटों की बुकिंग पर दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया गया हो, और यदि आवश्यकता होने पर, इन दिशानिर्देशों को वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी कार्यालयों में पुनःपरिचालित करें।

Subhash Chand

(सुभाष चंद)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग तथा अन्य सरकारी कार्यालय
(मानक डाक सूची के अनुसार)

सं.19024/1/2009-ई-IV

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

--

नई दिल्ली, 16 सितंबर, 2010

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषयः प्रवासों/ अवकाश यात्रा रियायत पर हवाई यात्रा पर दिशानिर्देश।

इस विभाग को प्राधिकृत अभिकरणों के माध्यम से हवाई टिकटों की खरीदी के संबंध में तथा इंडियन एयरलाइन्स को छोड़कर अन्य एयरलाइनों से यात्रा की रियायत के लिए बार बार संदर्भ प्राप्त होते रहे हैं। निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अनुपालन को नोट किया जाना चाहिएः

1. आधिकारिक प्रवासों/ दौरों परः

(i) परिचालनगत अथवा अन्य कारणों से अथवा एयर इंडिया उड़ानों में टिकिटों की अनुपलब्धता के चलते एयर इंडिया को छोड़ अन्य एयरलाइनों से यात्रा के लिए, व्यक्तिगतगत मामलों में रियायत को नागरिक उड्डयन मंत्रालय को संदर्भित किए जाने चाहिए, जैसा कि मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं.19024/1/2009-ई.IV दिनांक 13.07.2009 में यथा उल्लिखित है।

(ii) हवाई टिकटों को सीधे एयरलाइन्स से खरीदे जा सकते हैं (एयरलाइन की बुकिंग काउंटरों/ वेबसाइट से) अथवा प्राधिकृत यात्रा अभिकरणों की सेवाओं का उपयोग करते हुए जैसे मेसर्स बामर **लॉरी** एंड कंपनी, मेसर्स अशोक ट्रैवल्स एंड टूर्स।

2. <u>अवकाश यात्रा रियायतः</u>

(i) केवल एयर इंडिया से ही यात्रा करें।

(ii) केवल किफायती (इकॉनमी) श्रेणी में, पात्रता के बावजूद।

(iii) एयर इंडिया की एलटीसी-80 टिकट ही खरीदे जाएं।

(iv) हवाई टिकटों को सीधे एयरलाइन्स से खरीदे जा सकते हैं (एयरलाइन की बुकिंग काउंटरों/ वेबसाइट से) अथवा प्राधिकृत यात्रा अभिकरणों की सेवाओं का उपयोग करते हुए जैसे मेसर्स बामर **लॉरी** एंड कंपनी, मेसर्स अशोक ट्रैवल्स एंड टूर्स, तथा आईआरसीटीसी से

{जहां तक कि आईआरसीटीसी डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन सं.31011/6/2002-स्था.(ए) दिनांक 02.12.2009 के अनुसार प्राधिकृत है}।

3. जम्मू और कश्मीर हेतु अवकाश यात्रा रियायतः

(i) अवकाश यात्रा रियायत का लाभ लेने के दौरान जम्मू और कश्मीर की यात्रा हेतु निजी एयरलाइनों से यात्रा की छूट सभी श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है, जिसमें वे भी सम्मिलित है जिन्हें [डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन सं.31011/6/2002-स्था.(ए-IV) दिनांक 18-06-2010 तथा 05.08.2010 संदर्भ} हवाई यात्रा की पात्रता है।

(ii) हवाई टिकटों के उद्देश्य के लिए, तथापि, उपरोक्त पैरा 2(IV) में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना चाहिए।

4. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों से अनुरोध है कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

(करण सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग।